राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालयः— मुख्य प्रबन्धक, केन्द्रीय बस स्टैण्ड,जयपुर।

दिनांकः08-08-26

क्रमांक :— सी.बी.एस / मु.प्र. / वित्त / केन्टिन / 26 / 1046

ई—बोली आमंत्रण सूचना

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, केन्द्रीय बस स्टैण्ड, सिंधी कैम्प, जयपुर पर नवीन भवन (वर्तमान प्लेटफॉर्म नं. 01) के तलघर (बैसमैन्ट) एवं परिसर में स्थित पार्किंग हेतु अस्थाई रूप से लाईसेंसी नियुक्त किये जाने हेतु ई—बोली आमंत्रित की जाती है जिसका विवरण निम्नप्रकार से हैः—

क्र. सं.	प्लेट फार्म नम्बर	पार्किंग विवरण	स्थान	RISL प्रोसेसिंग फीस	निविदा शुल्क (जीएसटी सहित)	बोली प्रतिभूति राशि	अनुमानित वार्षिक आय,जी.एस.टी. अतिरिक्त
1	01	साईकिल, स्कूटर, मोटरसाईकिल, मोपेड एवं कार पर्किंग	नवीन भवन (वर्तमान प्लेटफॉर्म नं. 01) के तलघर (बैसमैन्ट) एंव परिसर, अन्नपूर्णा रसोई के सामने (साईज 12X75 वर्गफीट)	500	236	50000	24,56,280

RISL प्रोसेसिंग फीस हेतु डिमांड ड्राफ्ट / बैकर्स चैक **MANAGING DIRECTOR RISL** के नाम देय होंगे। बोली प्रतिभूति राशि एवं निविदा शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट / बैकर्स चैक **CM RSRTC CBS JAIPUR** के नाम से देय होंगे। डिमांड ड्राफ्ट / बैकर्स चैक की छाया प्रतिलिपि (Scanned Copy) ई—बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी। मूल डिमांड ड्राफ्ट / बैकर्स चैक जो कि ई—बोली निविदा में अपलोड किये गये है वे दिनांक **21.07.2026** को 12:00 बजे तक कार्यालय मे जमा कराये जावें। तकनीकी बोली दिनांक **21.07.2026** को ही 13:30 बजे खोली जावेगी। निविदा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियॉ निम्नानुसार है।

क./सं.	विवरण	दिनांक	समय	स्थान
01	बोली दस्तावेज डाउनलोड करना	08.07.2026	18:00	
02	प्री—बिड मिटिंग	10.07.2026	14:00	मुख्य प्रबन्धक कक्ष सी.बी.एस. आगार जयपुर
03	ई—बोली प्रारम्भ	13.07.2026	14:00	
04	ई—बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	20.07.2026	17:00	
05	मूल बोली दस्तावेज को मुख्य प्रबन्धक को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	21.07.2026	12:00	मुख्य प्रबन्धक कक्ष सी.बी.एस. आगार जयपुर
06	तकनीकी बोली खोली जाने की तिथि	21.07.2026	13:30	

विस्तृत बोली दस्तावेज उपापन पोर्टल https://eproc.rajasthan.gov.in, https://sppp.rajasthan.gov.in और निगम वेबसाइड https://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc से डाउनलोड किये जा सकते है भविष्य में सभी अपडेट इन्ही वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। अतः इच्छुक बोलीदाता को इन वेबसाइट को निरंतर विजिट करने की सलाह दी जाती है। निविदा को बिना पूर्व सूचना के आंशिक या पूर्ण रूप से संशोधित / निरस्त किया जा सकता है।

Rauee

मुख्य प्रबन्धक

सी.बी.एस आगार,जयपुर।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,सी.बी.एस आगार,जयपुर।

(यह प्रपत्र अहस्तानतरणीय है तथा जिसके पक्ष में यह जारी किया गया जावें, उसी के प्रयोजनार्थ हैं)

केन्द्रीय बस स्टैण्ड जयपुर पर कार,स्कूटर, मोटरसाईकिल, साईकिल पार्किंग हेतु
अस्थाई रूप से लाईसेन्सधारी नियुक्त करने के सम्बन्ध में।

तकनीकी बिड–प्रपत्र

मुख्य प्रबन्धक सी.बी.एस आगार

01	फर्म/व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता	:–	
02	पिता का नाम		
03	टेलीफोन नम्बर/मोबाइल नं.		
	कार्यालय	:–	
	निवास	:–	
04	टेलेक्स/फैक्स नम्बर	:–	
05	व्यावसायिक अनुभव व उसका विवरण	:–	
06	धरोहर राशि	:–	
07	धरोहर राशि का निगम कोष में राशि जमा बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक नम्बर	:–	
	दिनांक	:–	
08	निगम में अन्य स्टैण्ड पर पूर्व में स्टाल/बूथ का आवंटन हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण।		
09	निविदादाता का जिस बैंक में खाता है उसका नाम बैक में खाता नम्बर	:–	
10	अन्य आवश्यक विवरणः– पहचान पत्र, पेन नम्बर, एवम् एक फोटो, जी.एस.टी. पंजीकरण फर्म/कम्पनी होने की दशा में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जी.एस.टी. पंजीकरण खुली निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी है। इसके बिना वित्तीय निविदा नही खोली जायेगी।	:–	

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पद/हैसियत/मोहर सहित

निविदा–शर्ते

कार, स्कूटर, मोटरसाईकिल, साईकिल पार्किंग स्थल लाईसेन्स पर आवंटन संचालन की निविदा हेतु शर्ते निम्नानुसार हैः–

1. निगम परिसर में कार, स्कूटर, मोटरसाईकिल, साईकिल की पार्किंग हेतु स्थान पूर्णतया अस्थाई तौर पर दिया जा रहा है। निगम प्रशासन को आवश्यकता होने पर लाईसेन्सधारी 24 घन्टे के भीतर पार्किंग स्थल खाली कर कब्जा निगम को संभलवायेगा। ऐसी परिस्थिति में लाईसेन्सी द्वारा किसी न्यायालय में निगम के विरूद्ध किसी भी प्रकार का वाद दायर नहीं किया जावेगा।
2. निगम परिसर (साईकिल, स्कूटर, मोटरसाईकिल, मोपेड एवं कार) हेतु खाली स्थान अस्थाई रूप से लाईसेंस/अनुबन्ध प्रथमतः एक (01) वर्ष हेतु दी जायेगी। एक वर्ष की अवधि समाप्ति पर लाईसेंसी के विरूद्व किसी भी प्रकार की राशि बकाया नही होने पर एवं सेवाये संतोषप्रद रहने पर लाईसेंस फीस में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत चक्रवृति दर से वृद्दि करते हुये लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम 03 तीन वर्ष तक की अवधि के लिए (प्रथम वर्ष एवं 02 वर्ष नवीनीकरण, एक बार में एक वर्ष के लिए) दोनो पक्षों की आपसी सहमति से किया जा सकेगा। उक्त लाईसेन्स अवधि समाप्ति के दो माह पूर्व पुनः खुली निविदा आमंत्रित कर नये उच्चतम निविदादाता को दिशा–निर्देशानुसार पार्किंग स्थल आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। उक्तानुसार नवीनीकरण नहीं कराने पर/अवधि समाप्ति पर पूर्व में किया गया अनुबन्ध/जारी लाईसेन्स स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। इसके लिए पृथक से नोटिस आदि जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लाईसेन्सी को पार्किग स्थल स्वतः ही खाली करना होगा इसके लिए वह किसी न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकेगा।
2. लाईसेन्स पर कार, स्कूटर, मोटरसाईकिल, साईकिल पार्किंग के लिये स्थान लेने हेतु लाईसेन्सी को पांच सौ रूपए मात्र के भारतीय गैर न्यायायिक स्टाम्प पर एक वर्ष का (अस्थाई रूप से) निर्धारित शर्तो के अनुरूप लिखित में अनुबन्ध करना होगा।
3. आवंटित पार्किंग स्थल/खाली स्थान में लाईसेन्सधारी द्वारा लाईसेन्स अवधि में निम्न वाहनों का ही पार्किंग व्यवसाय किया जावेगाः–

पार्क की जाने वाली वाहन	पार्किग हेतु निर्धारित स्थान
साईकिल, स्कूटर, मोटरसाईकिल, मोपेड एवं कार आदि	कार्यशाला में नवनिर्मित भवन के तलघर (Basement) व परिसर में अन्नपूर्णा रसोई के सामने (साईज 12X75 वर्गफीट)

उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा अन्यथा लाईसेन्स निरस्त करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा।

4. पार्किंग की दरें निम्न प्रकार होगी :–

क्र. सं	किस्म वाहन	6 घन्टे तक	6 से 12 घन्टे तक	12 से 24 घन्टे तक	24 से 48 घन्टे तक	48 घन्टे के बाद प्रति 12 घन्टे पर अतिरिक्त निम्नानुसार रूपया वसूल किया जावेगा।
01	साईकिल	5 रूपये	10 रूपये	20 रूपये	40 रूपये	राशि 20 रूपये प्रति 12 घन्टे, मासिक पास राशि 300 रूपये
02	स्कूटर/मोटर साईकिल/मोपेड आदि	10 रूपये	20 रूपये	30 रूपये	50 रूपये	राशि 25 रूपये प्रति 12 घन्टे, मासिक पास राशि 600 रूपये
03	कार	20 रूपये	30 रूपये	50 रूपये	80 रूपये	राशि 40 रूपये प्रति 12 घन्टे, मासिक पास राशि 1200 रूपये

उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा अन्यथा लाईसेन्स निरस्त करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा।

5. यदि 5 दिन तक या उसके बाद कोई भी वाहन पार्किंग में खड़ी रही तो उसके विरूद्ध लाईसेंसी द्वारा सम्बन्धित थानें में रिपोर्ट दर्ज कराई जावेगी। मासिक पास वाले वाहन को इस शर्त से विलग रखा जावेगा।
6. लाईसेन्सी द्वारा यात्रियों से दुपहिया वाहन, कार पार्किंग शुल्क कम्प्यूटर/ई.टी.एम मशीन के माध्यम से वसूल किया जावेगा, जिसमें दिनांक, वाहन का नम्बर, पार्किंग व वापसी का समय, निर्धारित दर के अनुसार चार्ज किया गया शुल्क आदि स्पष्ट अंकित होना चाहिए।
7. किसी भी परिस्थिति में कम्प्यूटर/ई.टी.एम मशीन खराब हो जाने पर लाईसेन्सी को वैकल्पिक व्यवस्था (मुद्रित पावती) रखनी आवश्यक होगी। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने पर मैनुअल पर्ची काटकर पार्किंग शुल्क वसूल नही किया जायेगा। अर्थात् पार्किंग निःशुल्क होगी परन्तु लाईसेन्सी द्वारा निगम को पूरी लाईसेन्स फीस देनी होगी। पार्किंग स्टैण्ड का संचालन राउण्ड दी क्लॉक निर्बाध रूप से करना होगा।
8. लाईसेन्सी को पार्किंग स्थल पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक से परिचय—पत्र अनुमोदित कराने होगें व सभी कर्मचारियों को निर्धारित वर्दी पहननी आवश्यक होगी बिना वर्दी के कोई भी कर्मचारी पार्किंग व्यवस्था में शामिल नहीं होगा और न ही यात्रियों से वाहन पार्किंग शुल्क वसूल कर सकेगा।
9. पार्किंग में से किसी वाहन के खोने या किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए लाईसेन्सी पूर्ण रूप से जिम्मेदार माना जायेगा व पूर्ण क्षतिपूर्ति करेगा। यदि किसी प्रकार का न्यायायिक विवाद उत्पन्न होता है तो लाईसेन्सी स्वयं जिम्मेदार होगा उपभोक्ता मंच संरक्षण के अन्तर्गत कोई राशि का दायित्व आता है तो उसके भुगतान का दायित्व लाईसेन्सी का होगा।
10. निविदा प्रपत्र के साथ प्रतिभू राशि 50,000/— रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपए मात्र) का बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक/संलग्न करनी होगी। लाईसेन्स आवंटित होने पर लाईसेन्सी को दस दिवस में तीन माह की लाईसेन्स फीस के बराबर सुरक्षा राशि की डी.डी/बैंकस चैक/ निगम में जमा करानी होगी। उक्त धरोहर एवम् सुरक्षा राशि बिना ब्याज के लाईसेन्स समाप्ति तक निगम कोष में जमा रहेगी। सुरक्षा राशि जमा कराने पर आवटंन पत्र जारी करने की दिनांक के दस दिवस पश्चात किराया प्रारम्भ होगा। लाईसेन्सी द्वारा लाईसेन्स जारी होने के दस दिवस के अन्दर व्यवसाय आरम्भ नहीं करने पर धरोहर राशि एवम् सुरक्षा राशि जब्त कर लाईसेन्स रद्द कर दिया जावेगा व द्वितीय उच्चतम निविदादाता को अथवा पुनः निविदा कर लाईसेन्स आवंटन किया जा सकेगा।
11. **असफल बोलीदाता की बोली धरोहर राशि बोली पर अन्तिम निर्णय के पश्चात लौटा दी जावेगी। बोली 90 दिवस तक मान्य होगी। परफोर्मेन्स सिक्योरिटी के रूप में जमा बैंक गारन्टी की अवधि 15 माह की होगी।**
12. लाईसेन्सी मासिक लाईसेन्स फीस एवं जी.एस.टी. के प्रतिवर्ष (वर्ष आवंटन दिनांक से माना जावेगा) 12 अग्रिम पोस्ट डेटेड़ चैक जो प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को देय होगे,देगा। पोस्ट डेटेड चैक को तय अवधि में बैंक में जमा करवा दिया जायेगा। अनाधरित होने की स्थिति में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। माह की 07 तारीख तक किराया राशि (लाईसेन्स फीस जी. एस.टी. सहित) निगम कोष में जमा/प्राप्त होनी चाहिये, नियत तिथि 07 तारीख तक निगम कोष में जमा/सुनिश्चित नहीं कराने पर किराया राशि (लाईसेन्स फीस जी.एस.टी. सहित) जमा नहीं करवाने पर माह प्रथम दिनांक से प्रतिदिन 50/—रूपए अथवा चैक राशि का 1 प्रतिशत जो भी अधिक हो की दर से शास्ति राशि जमा करवानी होगी। लाईसेन्सी की किसी शर्ते का पालन करने में असमर्थ रहने पर आगारीय समिति 24 घन्टे का नोटिस जारी कर लाईसेन्स निरस्त कर सकेगी। लाईसेन्स निरस्त करने/वापिस किये जाने पर लाईसेन्सी निगम परिसर को 24 घन्टे में खाली कर उसका कब्जा निगम के सक्षम अधिकारी को देगा। ऐसा नहीं किये जाने पर निगम के सक्षम अधिकारी पार्किंग स्थल में प्रवेश कर पार्किंग स्थल का कब्जा ले लेगा और पार्किंग स्थल के ताला लगा दिया जावेगा।
13. निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि वो पार्किंग का निर्धारित स्थान प्रशासनिक दृष्टि से उपयुक्त समझा जाने पर बदल सकेगा। इस बारे में निगम के द्वारा लिखित में निर्देश दिये जाने के 24

घन्टे के अन्दर–अन्दर लाईसेन्स धारक उसके स्वयं के खर्चे पर आंवटित जगह से समस्त सामान उठाकर नई जगह पर ले जावेगा। ऐसी स्थिति में यदि लाईसेन्स धारक उचित समझे तो एक माह का नोटिस देकर बिना किसी उत्तरदायित्व के लाईसेन्स समाप्त कर सकेगा।

14. लाईसेन्सधारी स्वयं के खर्चे पर सम्बन्धित विभाग से बिजली व पानी का कनेक्शन प्राप्त करेगा व उसका भुगतान सम्बन्धित विभाग को करेगा। अनुबन्ध समाप्त होने पर आगारीय समिति सम्बन्धित विभाग को कनेक्शन बन्द के लिए सूचित करेगी।
15. लाईसेन्सी मादक पदार्थ जैसे शराब, बीयर, अफीम, गांजा, चरस व सरकार द्वारा प्रतिबन्धित पदार्थ न तो रखेगा, न ही बेचेगा, न ही स्वयं सेवन करेगा। ऐसा करते हुए पाये जाने पर अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा।
16. आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले किसी भी व्यक्ति को लाईसेंस का आंवटन नही किया जावेगा। न ही ऐसे किसी व्यक्ति को लाईसेंस धारी द्वारा पार्किंग व्यवस्था में शामिल किया जावेगा।
17. लाईसेन्सी अपना व्यवसाय आवंटित स्थान पर ही कर सकेगा जिसकी सीमा नहीं बढ़ाई जावेगी। अतिरिक्त स्थान के अनुसार चार्ज वसूल होगा।
18. निगम द्वारा लाईसेन्सी को 24 घन्टे का लिखित नोटिस देकर लाईसेन्स को निरस्त करने का अधिकार होगा जिसके लिए कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं होगा।
19. लाईसेन्सी को पार्किंग व्यवसाय न्यूनतम 06 (छः) माह संचालित करना होगा उक्त अवधि पूर्ण होने के पश्चात यदि लाईसेन्सी स्वयं अपना लाईसेन्स चालू नही रखना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह पूर्व उसकी सूचना आगार प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी। तीन माह का नोटिस दिये बिना व्यवसाय बन्द करने पर उसकी जमा सुरक्षा एवम् धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
20. वाहन पार्किंग का लाईसेन्स अहस्तान्तरित योग्य होगा व सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
21. अनुबंध के क्रियान्वयन शर्तो एवं अनुबंध के निर्वचन के संबंध में दोनों पक्षों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिये परिवहन निगम के अध्यक्ष एकमात्र पंच निर्णायक होंगे। जिनका निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा। कोई भी पक्ष मामले/विवाद को पंच निर्णय के लिए प्रस्तुत किये बिना एवं उस पर निर्णय/पंचाट पारित हुए बिना कोई वाद किसी भी न्यायालय में नहीं ले जा सकेंगे। उक्त दोनों पक्ष यह जानते है कि अध्यक्ष निगम के अधिकारी है एवं उनको ही एकल पंच निर्णायक के लिए सहमति व्यक्त करते है। पंच निर्णायक/न्यायालय का कार्य क्षैत्र/कार्य स्थल जयपुर होगा।
22. लाईसेन्सी के विरूद्ध किसी भी तरह की बकाया राशि होने की स्थिति में उसकी जमा सुरक्षा राशि में से राशि समायोजित कर ली जावेगी, जो लाईसेन्सी द्वारा दो दिवस में बैक ड्राफ्ट द्वारा पुनः निगम कोष में जमा करानी होगी। ऐसे नहीं करने पर आगारीय समिति लाईसेन्स निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर अन्य योग्य फर्म को लाईसेन्स दे दिया जावेगा।
23. लाईसेन्सी द्वारा निगम से समय–समय पर जारी आदेश/शर्तों का पालन किया जावेगा अन्यथा आगारीय कमेटी को लाईसेन्स निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इससे होने वाली हानि के लिए लाईसेन्सी स्वय जिम्मेदार होगा।
24. यात्रियों की सुविधा के मध्यनजर रखते हुए निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि लाईसेन्सधारी के अलावा दूसरा दुपहिया वाहन/कार पार्किंग स्थल का लाईसेन्स बस स्टैण्ड पर अन्य स्थान पर अन्य फर्म को जारी कर सकेगा। लाईसेन्सधारी को इस बारे में किसी तरह का एतराज उठाने का अधिकार नहीं होगा।
25. यदि निविदादाता के निविदा प्रस्ताव स्वीकार कर लिये जाते है तो निविदादाता को लाईसेन्स प्राप्त करने से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र मुख्य प्रबन्धक के कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें।
    1. निविदादाता के नाम पर जो भी चल एवम् अचल सम्पत्ति है उनके प्रपत्रों की प्रमाणित छाया–प्रति अथवा स्वयं के नाम पर कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है तो उसके गारन्टर की आय एवम् अचल सम्पत्ति के प्रपत्रों की प्रमाणित छाया प्रति।
    2. निविदादाता के नाम पते के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति (पुष्टि में मतदाता परिचय पत्र/वर्तमान ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रमाणित प्रति,पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम टैक्स रिर्टन की प्रमाणित छायाप्रति)।
    3. निविदादाता अथवा निविदादाता के गारन्टर को 100/– रूपए के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पर यह शपथ पत्र भी देना होगा की जब तक वह निगम का लाईसेन्सी रहेगा तब तक बिना निगम अनुमति के वह अपनी चल अचल सम्पत्ति का विक्रय नहीं करेगा।

    यह शपथ पत्र नोटरी पब्लिक ओथोरिटी द्वारा सत्यापित होगा।

26. निविदादाता द्वारा ई–निविदा ऑनलाईन आवेदन किये जाने के पश्चात डी.डी. (**D.D.**)/बैंकर्स चैक की मूल प्रति लिफाफे में निर्धारित समय पर कार्यालय मे प्रस्तुत किये जावेंगें एवं लिफाफे पर बोलीदाता/कम्पनी/संस्था का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है।
27. निविदा दाता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होंगे।
28. यदि किसी भी संस्थान/व्यक्ति के विरूद्ध निगम की राशि बकाया/विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।
29. संलग्न धोषणा–पत्र को भरकर निविदा प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न करें।
30. केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारी, केन्द्र एवम् राज्य सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों एवम् राजस्थान परिवहन निगम के कर्मचारी एवम् उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को स्टैण्ड पर पार्किंग का आवंटन नहीं किया जा सकेगा।
31. लाईसेन्सधारी उसके द्वारा देय लाईसेन्स फीस के अलावा जी.एस.टी. एवम् उन समस्त करों को तथा अन्य फीस को जो भी किसी सरकारी विभाग अथवा स्थानीय निकाय को देय हो आदि का भुगतान नियमानुसार समय पर करेगा।
32. अगर निगम परिसर में पार्किंग के अतिरिक्त कही पर भी वाहन खड़े हुए पाये जाते है तो उस वाहन को पार्किंग स्थल पर लगवाने का कार्य लाईसेन्सी का होगा। पार्किंग स्थल के अलावा निगम परिसर में कही भी गाडियां पार्क की जाती है, तो लाईसेंसधारी के विरूद्व सख्त कार्यवाही की जावेगी।
33. बोली दाताओं को बोली प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा जिसके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होगें उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जाएगें। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
34. इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि बोली प्रपत्रों से संबधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी बोली प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।
35. लाईसेन्सी एवं उसके कर्मचारीयों द्वारा अधिक शुल्क वसूल किये जाने की शिकायत प्राप्त होने एवं यात्रीयों से अभद्र व्यवकार करने की शिकायत प्राप्त प्राप्त होती है तो प्रथम शिकायत सत्यापित पाये जाने पर राशि 2000/– रूपये, द्वितीय शिकायत सत्यापित पाये जाने पर राशि 5000/– रूपये एवं तृतीय, शिकायत सत्यापित पाये जाने पर राशि 10000/– रूपये शास्ति राशि वसूल की जावेगी। तथा इसके पश्चात् प्राप्त शिकायत सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् सत्यापित पाये जाने पर अनुबन्ध समाप्ति के साथ सुरक्षा राशि जप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
36. बोली के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाइन दर्ज करावें।
37. कम्पनी/संस्था को कम्पनी अधिनियम अथवा आवश्यक कानून के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है तथा प्रमाण पत्र की प्रति भी संलग्न करनी होगी।
38. बोलीदाता को सरकारी विभाग का एक वर्ष का पार्किंग कार्य का अनुभव होना चाहिये एवं जहां पर उसके द्वारा पार्किंग का कार्य किया गया है उस संस्था/कम्पनी आदि के द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति, कार्यादेश, अनुबन्धों की प्रति एंवम् कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र भी संलग्न करना आवश्यक है। एवं किसी भी सरकारी विभाग से प्रतिबंधित (**Black List**) नही होना चाहिये साथ किसी भी प्रकार भुगतान बकाया नही होने चाहिये।
39. बोलीदाता/कम्पनी/संस्था को गत तीन वर्ष की आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि बोली प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
40. जी.एस.टी. इनपुट हेतु अपना जी.एस.टी. नम्बर आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना होगा अन्यथा जी.एस.टी. इनपुट का लाभ नही मिलने पर निविदादाता स्वंय उत्तरदायी होगा।
41. यदि किसी यात्री/ आगन्तुक द्वारा वाहन नो पार्किंग जोन/ निर्धारित पार्किंग स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थान पर वाहन खड़ा किया जाता है। ऐसी स्थिति में लाईसेंसी सर्वप्रथम ऐसी स्थान पर खड़े वाहन की फोटो प्रमाण साक्ष्य के रूप में लेने के पश्चात् ही नो पार्किंग संबंधी जुर्माना वसूला जायेगा। जो कि नो पार्किंग शुल्क राशि 50/– रूपये तक वसूल कर सकता है। जुर्माना वसूलते समय संबंधित को उक्त साक्ष्य दिखाया जाना आवश्यक एवं एक माह तक उक्त प्रकार से लिये गये चित्रों को रखा जाना आवश्यक होगा।

श्रीमान कार्यकारी निदेशक (विधि) महोदय के कार्यालय आदेश क्रमांक 783 दिनांक 03.05.2024 के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार उक्त अनुबन्ध की शर्तो में Dispute Resolution and Arbitration Clause को भी निम्नानुसार शामिल किया जाता हैः–

42. **Dispute Resolution: Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be resolved by referring such dispute or difference to the Standing Committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/ 17/781 dated 03.10.2017. The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.**

43. **Any dispute/objection regarding the conditions mentioned in all the tenders/contracts/agreements issued by the Corporation shall be filed in the competent court located in jaipur.**

मैने उपरोक्त शर्तों को पढ़कर, समझकर, सुनकर बिना किसी दबाब के मैने हस्ताक्षर किये है। उक्त शर्ते मुझे पूर्णतया स्वीकार है।

(निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, केन्द्रीय बस स्टैण्ड,जयपुर।

घोषणा–पत्र

निविदादाता द्वारा इस घोषणा पत्र को भरकर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।

1. मैं/हम निगम कोष में जमा /डी.डी.संख्या/ बैकर्स चैक संख्या .... दिनांक .... राशि .... रूपये .... जो कि CM CBS JAIPUR के नाम देय है, संलग्न कर रहे है/कर दिया है।
2. मै/हमने निगम की समस्त शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया/सुन लिया है तथा इन सभी शर्तों की पालना करने का वचन देता हूँ/देते है। हमारा प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं/हम निगम के साथ लाईसेन्सी आधार पर अनुबन्ध पर हस्ताक्षर कर दूंगी/देगें।
3. मैं/हम घोषणा करता/करते है कि मैने/हमने जो प्रस्ताव किये है उसमें किसी अन्य संस्थान का कोई सरोकार नहीं है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति/संस्थान की तरफ से नही दिये गये है।

दिनांक :–

(हस्ताक्षर निविदा दाता)
मय पद/हैसियत व मोहर सहित।